उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:13/2022/ 111/1354990/ 12-2002/1/2021
लखनऊ: दिनांक: 02 मार्च, 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

शासन के कार्यालय आदेश संख्या: 30/2021/1354990/1/2021, दिनॉक 09 जून, 2021 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 2401- फसल कृषि कर्म- 103- बीज- 05-संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 2000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 66.67 लाख (छांछठ लाख सरसठ हजार रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड- 19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/ गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा , जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
6. वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का होगा।
7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
8. स्वीकृत धनराशि से बीजों हेतु क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
10. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किए जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाएगा।

http://chasanadesh.up.gov.in

13. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021- 231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401- फसल कृषि कर्म-103-बीज-05-संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के नामें डाली जायेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-1-3604-दस-2021-2022, दिनॉक 09 फरवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत की जा रही है।

(राधेश्याम)
उप सचिव।

संख्या:13/2022/111/1354990(1) / 12-2002/1/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या:एस0एफ0/1730-जी/लेखा-2/सं0बीज अनु/2021-22, दिनांक 21 जनवरी, 2022 के क्रम में,
5. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ/संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी,
6. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in